न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2015-00084 RAAJodhpur2015-85RTA223 LaharKanwar etc Vs Bhairusingh etc

01. लहर कंवर पत्नी श्री तुलछसिंह
02. रावल सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
03. रावलसिंह पुत्र श्री अनोपसिंह
04. खेतसिंह पुत्र श्री अनोपसिंह
05. समत कंवर पत्नी श्री अनोपसिंह
06. किशोरसिंह पुत्र श्री सुजासिंह
07. आईदानसिंह पुत्र श्री सांगसिंह
08. ओमप्रकाश सिंह पुत्र श्री सांगसिंह
09. ओमप्रकाश सिंह पुत्र श्री अमानसिंह
10. हेमीकंवर पत्नी श्री अमानसिंह
11. नखतसिंह पुत्र श्री जीवराज सिंह
12. रेवतसिंह पुत्र श्री जीवराज सिंह
13. पदमसिंह पुत्र श्री जीवराज सिंह
14. जगमाल सिंह पुत्र श्री जीवराज सिंह, सभी जातियान् पुरोहित, निवासीगण- ग्राम कानोडिया पुरोहितान्, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

--- अपीलाण्ट्स

ब

न

म

1. भैरूसिंह पुत्र श्री टीकम सिंह
2. रणजीत सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह
3. सायर देवी पत्नी जसवंत सिंह
4. चन्द्रसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
5. देवीसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
6. अगर कंवर पत्नी श्री भंवरसिंह
7. गुमानसिंह पुत्र श्री सांगसिंह
8. घेवर सिंह पुत्र श्री सांगसिंह
9. अजब सिंह पुत्र श्री सांगसिंह
10. माधोसिंह पुत्र श्री गोमदसिंह
11. किसन सिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह
12. शंकर सिंह पुत्र श्री बादरसिंह, सभी जातियान् पुरोहित, निवासीगण- कानोडिया पुरोहितान्, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बालेसर, जिला जोधपुर।

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर बालेसर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 नवबंर 2015 राजस्व वाद संख्या 68/2015 भैरूसिंह बनाम लहर कंवर इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -
श्री उम्मेद सिंह बावरला, अधिवक्ता अपीलांट्स
श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1
श्री जेठाराम सैन, अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 2 से 10
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 13

नि र्ण य

दिनांक : 29 अक्टूबर, 2021

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 नवंबर 2015 राजस्व वाद संख्या 68/2015 भैरूसिंह बनाम लहर कंवर इत्यादि के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 01 दिसंबर 2015 को पेश की गयी है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो. संख्या एक ने अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या एक से तेरह के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम छतरसिंह नगर, पटवार हल्का कानोडिया पुरोहितान्, तहसील बालेसर के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खसरा नं. 649 रकबा 47.16 बीघा स्थित है, जिसका रेस्पोडेंट संख्या एक के द्वारा प्रस्तुत ट्रेस नक्शा में दर्शाई मार्कस के अनुसार बंटवाड़ा किये जाने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट पर विधिवत तामील करवाये बिना ही अपीलांट्स की अनुपस्थिति में दिनांक 03.11.2015 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा दिनांक 10.11.2015 को अंतिम डिक्री जारी कर दी गई, अपीलांट्स द्वारा अंतिम डिक्री एवं निर्णय दिनांक 10.11.2015 के विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया रेस्पोडेंट संख्या एक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.09.2015 को दावा प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिनांक 02.09.2015 की आदेशिका में प्रतिवादीगण के सम्मन जारी किये जाने का आदेश है, परन्तु कोई सम्मन जारी नहीं किये गये तथा दिनांक 16.10.2015 की आदेशिका में भी प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी होकर दिनांक 30.10.2015 को पेश होने का आदेश है। इसी तरह अधीनस्थ न्यायालय ने तारीख पेशी दिनांक 16.10.2015 से आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.10.2015 नियत की है जो बहुत ही नजदीक तारीख पेशी है, जिसमें कुल 25 प्रतिवादीगण के सम्मन तामील करवाया जाना कतई संभव नहीं है, इसके बावजूद तारीख पेशी दिनांक 30.10.2015 को अपीलांट/प्रतिवादीगण की विधिवत्त तामील हुए बिना ही इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित कर दिया गया, जबकि अपीलांट को अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय द्वारा जारी सम्मन कभी भी प्राप्त नही हुए थे तथा न ही सवार कभी भी सम्मन लेकर आया था। उपरोक्त संपूर्ण सम्मनों के फर्द पर पक्षकार के सम्मन लेने से इंकार करने का नोट अंकित है, जो रेस्पोडेंट संख्या एक एवं तहसील सवार ने तहसील कार्यालय में बैठकर फर्जीवाड़ा एवं झूठे तरीके से नोट अंकित किये है, जो विधि अनुसार तामील प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जा सकती है, इस तरह अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत्त सुनवाई का अवसर दिये बिना ही विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो किसी भी सूरत में बहाल रखे जाने योग्य नहीं होने के कारण निरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है। दिनांक 30.10.2015 को अपीलांट्स की तामील हुए बिना ही अपीलांट्स के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित कर रेस्पोडेंट संख्या एक वादी का साक्ष्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करना बताते हुए पत्रावली दिनांक 03.11.2015 को नियत की गई उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.10.2015 को बहुत ही जल्द बाजी में एवं जल्दबाजी दिखाते हुए विधि विरूद्ध तरीके से एक दिन में तीन-तीन आदेश पारित किये है जो कतई विधिवत एवं न्यायोचित नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है। दिनांक 03.11.2015 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई तथा मौका कमिश्नर रिपोर्ट तैयार करने से पहले न तो अपीलांट्स को नोटिस दिया गया तथा न ही अपीलांट की उपस्थिति में तैयार की गई। उपरोक्त मौका रिपोर्ट तहसीलदार ने तैयार नही की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हल्का पटवारी ने ही मौका रिपोर्ट तैयार की है जो मौका फर्द देखने से स्पष्ट है कि हल्का पटवरी भी मौके पर कभी भी नहीं गया था। तहसील कार्यालय में ही बैठकर रेस्पोडेंट संख्या एक के कहे अनुसार विधि विरुद्ध तरीके से मौका फर्द तैयार की है, जबकि पक्षकारान् को नोटिस देकर उनकी उपस्थिति में मौके पर ही तहसीलदार स्वयं के द्वारा मौका फर्द तैयार की जाना कानूनन अनिवार्य होता है। इस तरह विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही विधि विरुद्ध तरीके से मौका फर्द तैयार की है, जिस पर कानूनन कतई विश्वास नहीं किया जा सकता है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा व काश्त चला आ रहा तथा रेस्पोडेंट संख्या एक का कभी भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा व काश्त नहीं होने के कारण ही विधि विरुद्ध एवं अवैध तरीके से एक तरफा निर्णय एवं डिक्री पारित करवाई है, जो न्याय हित में बहाल रखे जाने योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाना कानूनन न्यायोचित है। रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.09.2015 को वाद प्रस्तुत किया जो केवल मात्र दो माह के अंदर ही विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए दिनांक 10.11.2015 को ही अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया, इस तरह अधीनस्थ न्यायालय ने तामील प्रक्रिया को पूर्ण किये बिना ही एवं विधिवत प्रक्रिया अपनाये बिना ही विधि विरुद्ध अवैध तरीके से बहुत ही जल्दबाजी में अतिशीघ्रता दिखाते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया है जो विधि, नियम एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध होने के कारण खारिज किया जाना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायोचित है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03 नवंबर 2015 एवं अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.11.2015 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किये जाने के बावजूद भी वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार बालेसर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मौके पर कब्जे-काश्त अनुसार तैयार किया गया के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अतः अपीलांट्स के द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार बालेसर द्वारा स्वयं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मौके पर जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 सें 21 की पालना में उभय पक्ष की उपस्थिति में मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त अनुसार तैयार नहीं कर भू-अभिलेख निरीक्षक लोड़ता एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार करवाया गया है तथा तहसीलदार बालेसर द्वारा उस पर **काउंटर हस्ताक्षर** किये जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 नवंबर 2015 राजस्व वाद संख्या 68/2015 भैरूसिंह बनाम लहर कवर इत्यादि को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि **वह मामले मे विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं की मौके पर उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 सें 21 की पालना में उभय पक्ष की उपस्थिति में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त अनुसार** तैयार करवाकर उस पर उभय पक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत अंतिम डिक्री एवं निर्णय पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/X/2021

नखतदान बारहठ
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर